



प्रेस विज्ञप्ति

16.11.2025

ईडी ने दिल्ली में 82.53 किलोग्राम कोकीन जब्ती से जुड़े एनडीपीएस संबंधी धन-शोधन मामले में तलाशी अभियान चलाया; 70 लाख रुपये नकद जब्त, 110 म्यूल बैंक खातों पर रोक।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने एक बड़े नारकोटिक्स तस्करी और धन शोधन नेटवर्क की चल रही जाँच के सिलसिले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 14.11.2025 को दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, ईडी ने 70 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, साथ ही अपराध-संकेती दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड ज़ब्त किए।

यह मामला नवंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 82.53 किलोग्राम कोकीन की जब्ती से संबंधित है, जिसके कारण एनसीबी द्वारा वैश्विक मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट में शामिल कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शिकायत संख्या 36/2024 दर्ज की गई थी।

तलाशी अभियान में मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के नेटवर्क का भी पता चला। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 110 म्यूल बैंक खाते, जिनमें 73 खाते यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े थे, फ्रीज कर दिए गए, जिनका सट्टेबाजी से संबंधित लेनदेन के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा, तलाशी के दौरान ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों से धन अंतरण के लिए दुबई स्थित क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है।

ये तलाशी ईडी द्वारा मादक पदार्थ गिरोहों और डिजिटल लॉन्ड्रिंग नेटवर्कों को समर्थन देने वाले वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने और अपराध की आय से बनाई गई अतिरिक्त घरेलू और विदेशी संपत्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जाँच जारी है।